भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1962

(1962 का अधिनियम संख्यांक 31)

[12 सितम्बर, 1962]

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अतिरिक्त संशोधन करने और उस अधिनियम के अधीन किए गए कतिपय अर्जनों को विधिमान्य करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1962 है ।

[1]* * * * * * *

7. कतिपय अर्जनों का विधिमान्यकरण—किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, कम्पनी के लिए भूमि का हर अर्जन, जो मूल अधिनियम के भाग 7 के अधीन 1962 की जुलाई के 20वें दिन से पूर्व किया गया है या किया जाना तात्पर्यित है, जहां तक कि ऐसा अर्जन मुख्य अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए नहीं है, उक्त उपधारा के खण्ड (कक) में वर्णित प्रयोजन के लिए किया गया समझा जाएगा, और तद्नुकूल ऐसा प्रत्येक अर्जन और ऐसे अर्जन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही, आदेश, करार या कार्य ऐसे ही विधिमान्य होगा और सदैव विधिमान्य रहा समझा जाएगा, मानो मूल अधिनियम की धारा 40 और 41 के उपबन्ध, जैसे वे इस अधिनियम द्वारा संशोधित हैं, उन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे, जब ऐसा अर्जन किया गया था, या कार्यवाही की गई थी या आदेश दिया गया था, या करार किया गया था या कार्य किया गया था ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "कम्पनी" का वही अर्थ है जो मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ङ) के उस रूप में है, जैसे वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित किए जाने पर है ।

8. निरसन और व्यावृत्ति—(1) लैण्ड एक्वीजीशन (अमेण्डमेण्ट) आर्डिनेन्स, 1962 (1962 का 3) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई भी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन वैसे ही की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम 20 जुलाई, 1962 को प्रारंभ हो गया था ।

---

[1] 1974 के अधिनियम सं० 56 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा धारा 2 से धारा 6 तक निरसित ।